न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः—206 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. चनणाराम पुत्र श्री चुतराराम 2. जेठाराम पुत्र श्री चुतराराम जाति जाट, निवासी बेरड़ों का बास तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।		भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार ओसियां

प्रार्थीगण की ओर से :— अधिवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी उपस्थित।

अप्रार्थी की ओर से :— सरकारी पैरोकार।

—::निर्णयः:—

दिनांकः—30/10/19

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः— प्रार्थीगण व अन्य की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 55 / 1 रकबा 82 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ मौजा ग्राम बेरड़ों का बास, तहसील ओसियां की सरहद में आई हुई हैं। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीगण के पिता नाम पूर्व में चुतराराम पुत्र किस्तुराराम दर्ज था परन्तु आपसी विभाजन करने पर प्रार्थीगण के पिता नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश चुतराराम के स्थान पर चुनाराम दर्ज कर दिया। लेकिन प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम चुतराराम हैं। प्रार्थीगण के पिता के तमाम दस्तावेज चुतराराम नाम से बने हुए है तथा प्रार्थीगण के दस्तावेजों में भी पिता का नाम चुतराराम दर्ज है। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण हुई जो सदभाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थीगण को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड रहा हैं जिस वजह से प्रार्थीगण [illegible] भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत तमाम कार्य [illegible] प्रार्थीगण के पिता के नाम चुनाराम के स्थान पर चुतराराम करने हेतु हल्का पटवारी व तहसीलदार ओसियां को निवेदन किया लेकिन उन्होंने त्रुटि सुधारने से इन्कार कर दिया और कहा कि उक्त त्रुटि सुधारने बाबत उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

ओसियां से आदेश लेना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 55/1 रकबा 82 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ मौजा ग्राम बेरड़ों का बास तहसील ओसियां में प्रार्थीगण के पिता का नाम चुनाराम दर्ज है जो गलत हैं उसके स्थान पर प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम चुतराराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रेकर्ड पर लिया गया।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर नम्बर 55/1 रकबा 82 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ मौजा ग्राम बेरड़ों का बास, तहसील ओसियां जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम चुनाराम के स्थान पर चुतराराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 30/10/D ... को खुला [illegible] में आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

सहायक कमान्डेंट, ओसियां

Scanned by CamScanner